कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)उदयपुर संभाग,उदयपुर

Email;-jdeduudr@gmail.com **Telephone;-0294-2421621**

कार्यालय आदेश **NONTSP**

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा–मा/संस्था/एफ–1/12102/सी.भ./ व.अ.2018 विभिन्न विषय/2020 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान प्रतियोगी परीक्षा–2018 के संबध में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के संबध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों तथा शासन से प्राप्त पत्र के कम में सम्पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 10.03.2022 एवं पुनरावलोकन बैठक दिनांक 11.05.2022 में लिये गये निर्णय की पालना स्वरूप कतिपय अभ्यर्थियों को भूतपूर्व सैनिक वर्ग में विचारित करते हुए परिणाम जारी कर स्पष्ट पात्र अभ्यर्थियों की अभिस्तावना मय आवेदन पत्र नियुक्ति /पदस्थापन के लिये इस कार्यालय को सुपुर्द करने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक–विज्ञान** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे–मेट्रिक्स लेवल–11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) पर नियुक्ति दी जाकर संलग्न सुची के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/–(छब्बीस हजार पांच सौ रूपये) अथवा पूर्व से सेवारत होनें की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (**FIX REMUNERATION**) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्यादेश क्रमांकः–प.13(12)वित्त(नियम)2021 दिनांक 20.04.2023 के प्रावधानानुसार इनके नियत मानदेय से जीपीएफ/राज्य बीमा आदि कटौतियां की जावेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगें:

01 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।

02 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होनें संबंधी आशय का शपथपत्र 50/– के नॉन ज्युडिसियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामनें आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिये गये है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।

03विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करने सबंधी प्रावधान लागू होनें से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का शपथपत्र 50/– के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।

04 अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।

05 राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जानें के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 50/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर,त्रुटीपूर्ण,जालर अथवा कूटरचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्ध कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेगें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेगें।

Signature valid

Digitally signed by Bhanu Ram Kheechar
Designation : Deputy Director
Date: 2023.09.27 17:24:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4804622

06 अन्य पिछडा वर्ग मे चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाणपत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र मे जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है। अर्थात् अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमी लेयर का नही है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमी लेयर की श्रेणी मे आता है तो उसका आवेदनपत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजावें।

07 अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये विवाहित महिला आवेदकों के मामले में पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण करानें से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें।

08 चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता,आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जासकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।

09 कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक :प.7(3)कार्मिक/क–2/06/ पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।

10 यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा–2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

11 इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक **18-10-2023** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेगें।

12 टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यार्थियो से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव मे कार्यग्रहण नही करवाया जाये।

13 नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नही करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावें ।

14 संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें ।

(डॉ.भल्लूराम खींचड)
युक्त निदेशक(स्कुल शिक्षा)
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक :संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/उदय/संस्था–ब/फा–1051.56/2023/ 1295 दिनांक 27.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1–प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2–शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3–शासन उपसचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5–विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6–निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु ।
9–मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,.......................................
10–संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी., (मुख्यालय)माध्यमिक/प्रारम्भिक ....
11–ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति...
12–संस्था प्रधान..
13–वरिष्ठता अनुभाग – कार्यालय हाजा
14–संबंधित संस्था प्रधान...............................
15–संबंधित अभ्यर्थी...
16–निजी/गार्ड पत्रावली

Signature valid
Digitally signed by Bhallu Ram Kheechar
Designation : Deputy Director
Date: 2023.09.27 17:24:34 IST
Reason: Approved

कार्यालय सयुंक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग, उदयपुर

क्रमांकः—सयुं.नि. / स्कू.शि / उदय / संस्था—ब / फा—1051.56 / 23 / वअ.भर्ती प.2018 / 1295 दिनांकः—27.09.2023

कार्यालय — आदेश **(NON TSP)** विज्ञान

क्र स.	PHOTO	रोल नम्बर	मेरिट नं.		जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन विद्यालय का नाम	ब्लॉक	जिला
1		428420	M-1151	राधेश्याम रोहिला / ओमप्रकाश रोहिला,मु.पो.कोटकासिम (हनुमान मार्केट)तह. कोटकासिम,जिला अलवर—301702	01-03-1979	OBC	EX	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANSEN (224311)(08290908108)	KAPASAN	CHITTORGARH

(डॉ.भल्लूराम खीचड)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग,उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Bhallu Ram Kheechar
Designation : Deputy Director
Date: 2023.09.27 17:24:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4804622

दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतान के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(10/—रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं श्री/श्रीमती———————————————— पुत्र/पत्नी श्री————————————————
निवासी———————————————————————— यह शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरे दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रसं	सन्तान का नाम	जन्मतिथि	पुत्र/पुत्री

दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पति के फलस्वरूप ———संतान की वृद्धि हुई/नहीं हुई है। मेरे वर्तमान में कुल उत्पन्न संतानों की संख्या————— है।

मेरे द्वारा उक्तानुसार की गई घोषणा पूर्णतया सही है, इसके सही नहीं पाये जाने पर विभाग मेरी व0अ0 पद पर की गई नियुक्ति निरस्त कर सकेगा एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर शपथग्रहिता

———————————————————————————————————

राज्य से बाहर अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

(10/—रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री———————————————— पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री————————————————
निवासी———————————————————————— यह शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूं कि मेरे द्वारा राज्य से बाहर की निम्नांकित विवरणानुसार शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताएं अर्जित की गई हैः—

सम्बद्ध विष्वविद्यालय का नाम व पता	अर्जित योग्यता का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	रोल नं0

मेरे द्वारा उक्तानुसार राज्य से बाहर की अर्जित की गई योग्यताएं सही/प्रमाणित नहीं पाये जाने पर विभाग मेरी व0अ0 पद पर की गई नियुक्ति निरस्त कर सकेगा एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर शपथग्रहिता.

———————————————————————————————————

विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों/सूचनाओं के सम्बंध में प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मैं श्री/श्रीमती/सुश्री———————————————— पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री————————————————
निवासी———————————————————————— यह शपथ पूर्वक घोषणा करता/ करती हूं कि मेरे द्वारा वरिष्ठ अध्यापक पद पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर/विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये सभी दस्तावेज/सूचनाएं पूर्णतया सही एवं सत्य हैं। उक्त प्रस्तुत किये गये दस्तावेज /सूचनाएं त्रूटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर मेरा व0अ0 पद पर किया गया चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार जारी किया गया हों। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिये एवं नियानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो की "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसका आवेदन पत्र अविलम्ब कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें

Signature valid
Digitally signed by Bhalu Ram Kheechar
Designation : Deputy Director
Date: 2023.09.27 17:24:34 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4804622